ओमपाल बनाम गोपाल

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

केस संख्या : 96/2021, एवं 45/2022

केस संख्या	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
	8/4/2026	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस पुनः सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों एवं तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि इस वाद पत्र के साथ पत्रावली 45/2022 महेन्द्र बनाम ओमपाल दिनांक 2/02/2023 को सम्मिलित किया गया है अतः दोनों पत्रावलियों का निर्णय यहां पर एक साथ किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद, वादी ओमपाल सिंह द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कृषि भूमि ख.नं. 587, 597, 598, 599, 600 व 601 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर स्थित ग्राम रूपावास के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था। दौराने कार्यवाही वादी द्वारा अपना दावा स्वेच्छा से वापस (withdrw) ले लिया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है [illegible] प्रतिवादी [illegible] का काउन्टर [illegible] पर [illegible] किया जा रहा है। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में दिनांक 9/7/2024 को एक प्राथमिक डिक्री	

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:14 IST
Reason: SelfAttested

ओमपाल बनाम गोपाल

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

संख्या : 96/2021 एवं 45/2022

...गा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
		पारित की गई थी। उक्त डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी को राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) नियम 18 से 21 के तहत मौके पर कुर्रेजात (विभाजन रिपोर्ट) तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी जयपुर को ने 14.5.2025 रिपोर्ट भेजी गयी थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर पुनः कुर्रेजात बनाने हेतु आदेशित किया था। तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी द्वारा भू. अ./कुर्रेजात रिपोर्ट/2026/272 दिनांक 5/2/2026 को पुनः रिपोर्ट भेजी है जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें अंकित किया गया है कि ख०न० 598, 600 व 601 के आंशिक हिस्सों पर वर्तमान में आवासीय कॉलोनी बनी हुई है। तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि भूमि का उपयोग अब कृषि कार्य हेतु नहीं हो रहा है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 के अनुसार [illegible] का तकासमा किया जाना [illegible] नहीं है। इस पर अप्रार्थीगण [illegible] 2, 19 के अधिवक्तागण ने आपत्ति जाहिर की। और जाहिर किया कि हमारा तकासमा किया जावे।	

[signature]

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:14 IST
Reason: SelfAttested

ओमपाल बनाम गोपाल

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

केस संख्या : 96/2021 एवं 45/2022

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
		चूंकि विवादित भूमि का भौतिक स्वरूप पूर्णत: परिवर्तित हो चुका है और अब शुद्ध रूप से कृषि भूमि नहीं रही है, इसलिए राजस्व न्यायालय को धारा 53 के तहत ऐसी भूमि का विभाजन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध गूगल इमेज की प्रति मौके पर कालोनी और निर्माण की पुष्टि करती है, अत: तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी की रिपोर्ट दिनांक 5/2/2026 एवं पत्रावली के तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम / दावा खारिज किया जाता है। इस प्रकार दोनों दावे 96/2021 ओमपाल बनाम गोपाल एवं 45/2022 बउन्वानी महेन्द्र बनाम ओमपाल खारिज किया जाता है। पत्रावलियां फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:14 IST
Reason: SelfAttested